

परिचय

ईआईए अधिसूचना 2006 जल अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य नियमों के अनुसार, प्रत्येक तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना या उसके चालू होने के बाद, उसे कुछ आवधिक अनुश्रवण और अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करना होगा। ये अनुपालन आवश्यकताएं/मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के दौरान आसपास का वातावरण दूषित न हो जाए। इसके अलावा, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के भाग के रूप में, तापीय विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को विभिन्न दस्तावेजों को जमा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी और परियोजना स्थल में किसी भी प्रकार की भौतिक गतिविधियों को करने से पहले आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रस्तावक (पीपी) स्थानीय पर्यावरण मुद्दों के आधार पर अपने स्वयं के सक्रिय लक्ष्यों का प्रस्ताव कर सकते हैं।

भारत सरकार ने कुछ निश्चित अनुश्रवण और अनुपालन प्रक्रियाओं को भी लागू किया है ताकि वे निर्धारित मानकों का पालन कर सकें। इस कार्य को विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच वितरित किया जाता है। इन प्रक्रियाओं को परियोजना अवधारणा के समय से लागू किया जाता है और यह परियोजना के जीवनकाल तक जारी रहता है। यह पुस्तिका तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए मौजूद विभिन्न अनुश्रवण और अनुपालन प्रक्रियाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करती है।

ये प्रक्रियाएं कुछ अनिवार्य दस्तावेजों के रूप में होती हैं, जिन्हें संयंत्र की स्थापना के पहले और बाद में, परियोजना के प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ये विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों को प्रस्तुत किए जाते हैं। यह दस्तावेज गतिविधियों की निगरानी करने में, परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए वादों का अनुपालन करने और मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदान की गई शर्तों के साथ संयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निगरानी और अनुपालन के लिए साधन:

ईआईए निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेज अभिन्न अंग बन जाते हैं:

1. पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के साथ विधिवत भरा हुआ फार्म 1 और/या फॉर्म 1ए प्रारूप – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ और सीसी) मंत्रालय/राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) (वेब होस्टेड),
2. सेक्टर विशिष्ट पर संदर्भ की मानक शर्तें (टीओआर) (वेब होस्टेड)
3. मानक टीओआर के साथ एमओईएफ और सीसी/एसईएसी द्वारा जारी किया गया टीओआर और आवश्यक होने पर ईएसी द्वारा तय किए गए परियोजना दर परियोजना विशिष्ट आधारित परियोजना के लिए अतिरिक्त टीओआर (वेब होस्टेड)
4. प्राधिकरण को प्रारूप पर्यावरण मूल्यांकन आकलन (ईआईए) सबमिट किया गया हो, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में मसौदा ईआईए रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश— एमओईएफ और सीसी / एसईआईएए—वेब—होस्टेड
5. जन सुनवाई बैठक और सार्वजनिक परामर्श आधारित लिखित इनपुटों में व्यक्त विचारों, मांगों और चिंताओं को कार्रवाई योजनाओं को शामिल करते हुए अंतिम ईआईए रिपोर्ट – एमओईएफ और सीसी/एसईआईएए
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) / पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम ईआईए रिपोर्ट का भाग – एमओईएफ और सीसी/एसईआईएए
7. विशिष्ट परिस्थितियों और सामान्य परिस्थितियों के साथ पर्यावरण मंजूरी (ईसी) – एमओईएफ और सीसी/एसईआईएए (वेब—होस्टेड)
8. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से विशिष्ट परिस्थितियों, सामान्य परिस्थितियों और अतिरिक्त शर्तों के साथ (सीटीई) स्थापित करने के लिए सहमति (केवल सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत उपलब्ध है)।
9. विशेष परिस्थितियों, सामान्य स्थितियों और अतिरिक्त शर्तों के साथ संचालित करने के लिए सहमति (सीटीओ) –एसपीसीबी (केवल आरटीआई के अंतर्गत उपलब्ध है)
10. खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण – एसपीसीबी (केवल आरटीआई के तहत उपलब्ध)
11. ईसी— एमओईएफ और सीसी के क्षेत्रीय कार्यालय में निर्धारित सभी विशेष और सामान्य शर्तों के प्रति छिमाही अनुपालन रिपोर्ट (आरटीआई के तहत उपलब्ध है)
12. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को फ्लाइ एश रिपोर्ट की वार्षिक घोषणाएं और एमओईएफसीसी और एसपीसीबी को प्रतियां प्रदान की जानी चाहिए (आरटीआई के तहत उपलब्ध हैं)

13. पानी की खपत का विवरण पानी की खपत के लिए निर्धारित प्रारूप में मासिक जल उपकर रिपोर्ट (चार ग्रेड, जैसा लागू हो) – एसपीसीबी (केवल आरटीआई के तहत उपलब्ध)
14. वार्षिक पर्यावरण विवरण – एसपीसीबी (केवल आरटीआई के तहत उपलब्ध)
15. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016 द्वारा निर्धारित खतरनाक अपशिष्ट घोषणा
16. एसपीसीबी द्वारा सहमति का नवीनीकरण

फॉर्म 1 और पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट— एमओईएफ और सीसी & एसईआईएए— इन दस्तावेजों को चरण 1 – ईआईए प्रक्रिया की स्क्रीनिंग में प्रस्तुत किया जाता है। इसे एमओईएफ और सीसी या एसई आईएए को प्रस्तुत परियोजना के प्रस्ताव के रूप में माना जा सकता है।

- पर्यावरण मंजूरी मिलने के लिए एक आवेदन पत्र जमा किया जाता है
- फॉर्म 1 निर्धारित करता है कि परियोजना या गतिविधि श्रेणी ए या श्रेणी बी स्तर में आती है और क्या वर्गीकरण के आधार पर सार्वजनिक क्लियरिंग की आवश्यकता है या नहीं।
- पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का एक कार्यकारी सारांश या उद्धरण है – जो कि परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का निर्णय लेती है। फॉर्म 1 के साथ जमा करने के लिए, पीएफआर या तो परियोजना प्रस्तावक (पीपी) या मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रभाव आकलन संगठन (ईओ) द्वारा तैयार किया जाता है।

विषय टीओआर – एमओईएफ और सीसी/एसईआईएए—मानक संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को क्षेत्रीय विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अधिसूचित किया जाता है और फॉर्म 1 और पीएफआर सबमिशन के आधार पर, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी)/विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) मानक टीओआर की पर्याप्तता का निर्णय लेती है या साथ ही निर्णय लेती है कि इसे अतिरिक्त टीओआर की आवश्यकता है या नहीं और इसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए एमओईएफ और सीसी या एसईआईएए द्वारा ऐसे टीओआर जारी किए जाते हैं।

मसौदा ईआईए रिपोर्ट— इसके बाद पीपी को एक मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्श संगठन की सहायता से ईआईए रिपोर्ट तैयार कराने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में, एक मसौदा ईआईए रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न का पालन करना चाहिए:

- एमओईएफ और सीसी/एसईआईए द्वारा जारी मानक और अतिरिक्त टीओआर (ईआईए का विस्तार) न्यूनतम पाठ्यविवरण कवरेज है, लेकिन पीपी और एईओ साइट की उपयुक्तता के लिए संदर्भ की शर्तों से परे जा सकते हैं
- वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, मृदा गुणवत्ता, शोर गुणवत्ता, पारिस्थितिकी और जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, आदि के लिए 10 किमी (बफर जोन) के दायरे को कवर करने के लिए परियोजना स्थल की आधारभूत स्थिति का निरीक्षण किया जाना चाहिए (12 पर्यावरण गुणवत्ता मापदंड होते हैं)
- इसके बाद पीपी और एईओ तब आधारभूत स्थिति की जांच करता है और इस बात की जाँच करते हैं कि प्रस्तावित परियोजना का संचालन करने के दौरान यह कैसे बदल जाएगा (प्रभाव आकलन)
- ऐसी ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए ईआईए अधिसूचना 2006 का अनुलग्नक—IIII आवश्यक अध्याय और सामग्री प्रदान करते हैं
- अनुलग्नक प् के लिए आवश्यक है कि आधारभूत परिस्थितियों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सामग्रियों को एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि ईआईए रिपोर्ट को इस तरह बनाया जा सके कि वह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, किसी अतिरिक्त आवश्यक कमीशन लागत से संबंधित मुद्दों, वैकल्पिक साइट और प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सके। इस स्तर पर, इसे ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है
- मसौदा ईआईए सामग्री और उद्देश्य की बेहतर समझ के लिए परियोजना प्रस्तावक और मान्यता प्राप्त ईआईए संगठन को स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में एक समान कार्यकारी सारांश तैयार करना आवश्यक है।
- इसके बाद ईआईए रिपोर्ट और कार्यकारी सारांश के मसौदे की प्रतियां आवश्यक संख्या में प्राधिकारियों को दी जाती हैं ताकि उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर 30 दिन पहले लोगों के लिए प्रदर्शित किया जा सके ताकि सार्वजनिक सुनवाई घोषणा के दौरान भागीदारी/चर्चा के लिए वे स्वयं को तैयार कर सकें।

मसौदा ईआईए रिपोर्ट चरण 3 – ईआईए प्रक्रिया का सार्वजनिक परामर्श में एमओईएफ और सीसी और एसईआईए को प्रदान की जाती है।

ध्यान दें:

- कार्यकारी सारांश में किसी भी सूचना को छिपाया नहीं जाना चाहिए।
- सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया को लागू करने से पहले इस स्तर पर ईएसी ६ एसईएसी द्वारा ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट की जांच के लिए ईआईए अधिसूचना में कोई प्रावधान नहीं है।
- ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट किसी भी तकनीकी जांच के अधीन नहीं है

लोक सुनवाई/परामर्श – संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अखबार में विज्ञापन दिए जाने से 30/60 दिन पहले पूर्वनिर्धारित स्थल में लोक सुनवाई/परामर्श मीटिंग का आयोजन करने में सहायता प्रदान करता है।

- परियोजना से संबंधित समुदाय द्वारा परियोजना पर व्यक्त किए विचारों, चिंताओं, मांगों को उचित प्रकार से सुना जाता है उनका वीडियो बनाया जाता है और उसका कार्यवृत्त तैयार किया जाता है। (सार्वजनिक परामर्श)
- लोक सुनवाई और लोक परामर्श (लिखित संचार) के आधार पर मीटिंग का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है और पीपी को सूचित किया जाता है।
- पीपी को एक कार्य योजना विकसित करनी होती है और एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होती है जिसे आवश्यक संशोधन के लिए मसौदा ईआईए रिपोर्ट में शामिल करने के लिए समेकित किया जाएगा।

अंतिम ईआईए रिपोर्ट – परियोजना को स्वीकृति देने या अस्वीकार करने के लिए उपर्युक्त संशोधित ईआईए रिपोर्ट मसौदा ईएसी/एसईएसी को दिया जाता है। यदि मंजूरी दी जाती है, तो एमओईएफ और सीसी/एसईआईए द्वारा पीपी को पर्यावरण मंजूरी जारी की जाती है और साथ ही संबंधित एसपीसीबी और अन्य लागू एजेंसियों को इसकी प्रतियां दी जाती हैं।

- सार्वजनिक समीक्षा के लिए बनाई गई ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट की सामग्रियों में प्रमुख परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अंतिम ईआईए रिपोर्ट, विशेष अध्ययन रिपोर्ट आदि में आधारभूत डेटा या अतिरिक्त डेटा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
- लोक सुनवाई/परामर्श बैठक के दौरान समेकित फ्लारवाई योजना और प्रतिक्रिया योजना के जवाब के रूप में, परिवर्तनों को अल्पीकरण लागत या उपायों, नीति प्रतिबद्धता आदि में किए गए परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- मसौदा ईआईए रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए, इसमें सार्वजनिक परामर्श के दौरान व्यक्त चिंताओं को संबोधित करते हुए एक पूरक रिपोर्ट भी हो सकती है।

ध्यान दें:

जनता को मसौदा ईआईए रिपोर्ट और अंतिम ईआईए रिपोर्ट की सामग्रियों की तुलना करना आवश्यक है। निम्न के कारण ईएसी ६ एसईएसी उल्लंघनों पर ध्यान दिया जाता है

- अनुमत आधारभूत डेटा में परिवर्तन
- अतिरिक्त विशेष अध्ययन जानकारी शामिल करना जो मसौदा ईआईए रिपोर्ट का अभिन्न अंग नहीं है।

केवल अल्पीकरण बजट या प्रतिबद्धता या जनता की राय और उठाई गई मांग और चिंताओं में किए जाने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाना चाहिए।

पर्यावरण प्रबंधन योजना – ईएमपी ईआईए रिपोर्ट का हिस्सा है और इसमें दो अध्याय— 6 और 10 शामिल हैं

- अध्याय 6 की ईआईए रिपोर्ट में अल्पीकरण उपायों की प्रभावशीलता की निगरानी के तकनीकी पहलू शामिल हैं जैसे कि माप पद्धतियां, आवृत्ति, स्थान, डेटा विश्लेषण, रिपोर्टिंग कार्यक्रम, आपातकालीन प्रक्रियाएं और विस्तृत बजट और खरीद कार्यक्रम।
- ईआईए रिपोर्ट के अध्याय 10 में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक पहलुओं का विवरण शामिल है कि अल्पशीलता उपायों को कार्यान्वित किया गया है और ईआईए के अनुमोदन के बाद उनकी प्रभावशीलता पर निगरानी रखी गई है।
- पीपी द्वारा उल्लिखित पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस योजना में पर्यावरण और समाज को किए गए नुकसान के लिए मुआवजा भी शामिल है।
- अनुपालन और मॉनिटरिंग की स्थिति प्रत्येक छह महीने में एक रिपोर्ट के रूप में जमा की जानी चाहिए।

ध्यान दें:

- सभी ईआईए में संबोधित पर्यावरण मॉनिटरिंग प्लान अल्प अवधि केंद्रित हैं और सहमति-से-परिचालित स्थितियों में एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित, अनुपालन, मापदंड और फिरक्वेंसी को प्रतिबिंबित करते हैं।
- लंबे समय से चल रहे दीर्घकालिक महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मिट्टी और भूजल संदूषण मानकों का निपटान करने के लिए कोई योजना या प्रारूप नहीं है।

पर्यावरण मंजूरी – ईसी चरण 4 – एमओईएफ और सीसी या एसईआईएए द्वारा मूल्यांकन” में दी जाती है। विकास गतिविधियों को अनुमोदित करने के लिए ईसी पत्र जारी किया जाएगा।

- विद्यमान परियोजनाओं में विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में बदलाव के लिए पूर्व ईसी आवश्यक है
- ईसी में विशिष्ट और सामान्य पर्यावरण सुरक्षा उपाय और शर्तें शामिल हैं
- अन्य सभी परियोजनाओं के लिए ईसी पांच साल के लिए वैध है और पत्र में इसका वर्णन किया गया है। हालांकि, खनन पट्टा समझौते वाली परियोजनाओं के लिए ईसी अधिकतम तीस वर्षों के लिए वैध है।
- ईसी प्राप्त होने पर, प्रोजेक्ट प्रस्तावक को परियोजना की गतिविधियों संबंधित एसपीसीबी द्वारा साइट के शारीरिक निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

उपरोक्त प्राप्त होने पर, परियोजना प्रस्तावक को परियोजना की गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें सभी निर्धारित पर्यावरण निवारण उपायों का कार्यान्वयन भी शामिल है।

ध्यान दें:

- प्रस्तावक को एसपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट सभी स्थापित –करने के लिए – सहमति संबंधी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
- यदि मामूली परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, तो इन्हें न्यायोचित किया जाना चाहिए और निर्धारित सहमति आवेदन प्रारूप में विभिन्न जानकारी प्रस्तुत कर आवश्यक अतिरिक्त राहत उपाय शामिल किए जाने चाहिए।

संचालित करने के लिए सहमति— जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के अनुसार, परियोजना प्रस्तावकर्ता को संबंधित एसपीसीबी से सीटीओ प्राप्त करना अनिवार्य है।

विभिन्न परियोजना गतिविधियों के पूरा होने पर और उत्पादन गतिविधियों के प्रारंभ होने से पहले सीटीओ दिया जाता है, जिसमें सभी निर्धारित पर्यावरण निवारण उपायों का कार्यान्वयन शामिल है

- यह विशेष अवधि के लिए दिया जाता है और इसे नियमित रूप से नवीनीकृत कराने की आवश्यकता होती है।

ध्यान दें:

- वर्तमान में विनियामक अनुपालन उद्देश्य के लिए पर्यावरण मंजूरी, स्थापित—करने के लिए सहमति (सीटीई), संचालित—करने के लिए— सहमति (सीटीओ या अब सीसी और ए) में निर्धारित शर्तों के बीच अंतर है, जो समान आधार की कमी इंगित करता है।
- पर्यावरण मंजूरी की शर्तें हैं: सामान्य स्थितियां और विशिष्ट परिस्थितियां। सीटीई / सीटीओ की शर्तें हैं: सामान्य परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां और अतिरिक्त शर्तें हालांकि, बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें कैसे एकत्र करना चाहिए।

अब परियोजना प्रस्तावक व्यावसायिक रूप से संयंत्र का संचालन कर रहा है। मॉनिटरिंग के लिए एक समरूप प्रणाली होगी, जो एमओईएफसीसी अनुपालन और एसपीसीबी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करेगी

मओईएफ अन पालन आवश्यकताएँ

- पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित सभी विशेष और सामान्य शर्तों के लिए छिमाही अनुपालन रिपोर्ट
- सीईए को फ्लाइ ऐश रिपोर्ट की वार्षिक घोषणा जिसकी प्रतियां एमओईएफसीसी और एसपीसीबी को भी दी जानी चाहिए एसपीसीबी अनुपालन आवश्यकताएँ

निर्धारित प्रारूप में पानी की खपत के लिए मासिक जलउपकर रिपोर्ट

- वार्षिक पर्यावरण विवरण
- घातक अपशिष्ट घोषणा, जैसा कि घातक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016 द्वारा निर्धारित किया गया है
- एसपीसीबी द्वारा सहमति का नवीनीकरण

छिमाही रिपोर्ट— यह एक अर्ध- वार्षिक रिपोर्ट है जिसे हर छह महीने में एमओईएफ और सीसी या एसईआईएए को प्रदान किया जाता है ताकि पूर्व में निर्धारित पर्यावरण मंजूरी के नियमों और शर्तों को पूरा किया जा सके।

- यह रिपोर्ट ईआईए रिपोर्ट के 10 वें अध्याय में उल्लिखित ईएमपी के साथ अनुपालन पर आधारित है
- अनुपालन और निगरानी की स्थिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जून और 1 दिसंबर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- फ्लाइ ऐश उपयोग – हर टीपीपी को वर्ष 1999 में एमओईएफ और सीसी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर फ्लाइ ऐश उपयोग करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है (2003 2009 और 2016 में संशोधित) और सीईए द्वारा निगरानी की जाती है।
- थर्मल पावर संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाइ ऐश के उपयोग पर नजर रखी जाती है।
- नए थर्मल पावर संयंत्र या एक्सटेंशन और विकास संबंधित सभी गतिविधियों हेतु निर्धारित उपयोग के लिए लक्ष्य का स्तर निम्नानुसार है:

मौजूदा पावर संयंत्र के लिए उपयोग स्तर	अधिसूचना की तिथि से लक्ष्य तिथि
फलाई ऐश उत्पादन का 50:	वर्ष 1
फलाई ऐश उत्पादन का 70:	वर्ष 2
फलाई ऐश उत्पादन का 90:	वर्ष 3
फलाई ऐश उत्पादन का 100:	वर्ष 4

जल उपभोग सीमा— पर्यावरण संरक्षण नियम 2015 के तहत प्रत्येक टीपीपी को पानी की खपत की मात्रा की रिपोर्ट करना आवश्यक है। नियम उद्योगों द्वारा पानी की खपत की मात्रा को निर्धारित करता है।

- वंस थ्रू कूलिंग (ओटीसी) वाले सभी संयंत्रों को शीतलक टॉवर (सीटी) स्थापित करना चाहिए और अधिकतम 3.5 उ3धड़ी तक विशिष्ट पानी की खपत प्राप्त करनी चाहिए।
- सभी विद्यमान सीटी—आधारित संयंत्र द्वारा 3.5 उ3धड़ी तक विशिष्ट पानी की खपत को कम किया जाता है
- 1 जनवरी 2017 के बाद स्थापित होने वाले नए संयंत्रों को अधिकतम 2.5 उ3धड़ी तक विशिष्ट पानी की खपत को पूरा करना होगा और शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्राप्त करना होगा
- जल उपकर—जल उपकर शुल्क वह कर हैं जिन्हें पानी की खपत पर लगाया जाता है। शुल्क को जल (निवारण और प्रदूषण नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 द्वारा शासित किया जाता है।
- संबंधित एसपीसीबी द्वारा शुल्क एकत्रित किए जाएँगे
- उन प्रदूषणकारी उद्योगों पर जल उपकर लगाया जाता है, जिन्हें चार ग्रेड में घरेलू, शीतलन और प्रक्रिया प्रयोजनों के लिए पानी का उपभोग करना पड़ता है
- इसमें वे उद्योग शामिल नहीं हैं जो प्रति दिन दस किलोलीटर से कम पानी की खपत करते हैं
- 2016 में नवीनतम शुल्क निम्नानुसार हैं:

प्रकार अनुभाग 3	उप-अनुभाग (2) – अनुभाग 3	उप-अनुभाग 2(ए) –
कूलिंग	5 पैसे प्रति किलोलीटर	10 पैसे प्रति किलोलीटर
घरेलू	2 पैसे प्रति किलोलीटर	3 पैसे प्रति किलोलीटर
संसाधन, अपशिष्ट जल बायोडिग्रेडेबल है	10 पैसे प्रति किलोलीटर	20 पैसे प्रति किलोलीटर
संसाधन, अपशिष्ट जल बायोडिग्रेडेबल नहीं है	15 पैसे प्रति किलोलीटर	30 पैसे प्रति किलोलीटर

पर्यावरण कथन – यह पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत अनिवार्य है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरण रिपोर्ट उसी वर्ष के 30 सितंबर या उससे पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दी जानी चाहिए।

पर्यावरण विवरण में निम्नलिखित सामग्री शामिल हैरू

- भाग ए— संयंत्र के बारे में सामान्य विवरण
- भाग बी – विशिष्ट जल और कच्चे माल की खपत
- भाग सी – पर्यावरण/आउटपुट इकाई में विसर्जित प्रदूषण (जारी सहमति में विनिर्दिष्ट पैरामीटर के अनुसार)
- भाग डी – खतरनाक अपशिष्ट (खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2008 और इसके संशोधन)
- भाग ई – ठोस अपशिष्ट
- भाग एफ – खतरनाक अपशिष्ट के साथ-साथ ठोस अपशिष्टों के लक्षण तथा दोनों श्रेणियों के लिए निपटान का प्रावधान बताए
- भाग जी – प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उत्पादन की लागत पर प्रदूषण की कमी करने के लिए किए गए उपायों का प्रभाव
- भाग एच – प्रदूषण कमी, रोकथाम आदि सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए अतिरिक्त उपाय / सुधार प्रस्ताव
- भाग आई – पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य विवरण

सहमति के नवीकरण के लिए समय अंतराल – सहमति नवीनीकरण का अर्थ है संबंधित एसपीसीबी द्वारा जारी किए गए सीटीओ का नवीनीकरण जो "लाल", "नारंगी" और "हरी" श्रेणी से जुड़ा है।

- थर्मल पावर प्लांट्स लाल श्रेणी में आते हैं जिन्हें हर साल नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। हालांकि, इसका निर्णय लेने का अधिकार एसपीसीबी के पास है।
- श्रेणियों के आधार पर प्रत्येक उद्योग के लिए सहमति शुल्क लागू होते हैं।
- लाल श्रेणी वाले उद्योगों को प्रत्येक वर्ष सहमति का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
- नारंगी श्रेणी वाले उद्योगों को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और वायु प्रदूषण उपायों के संतोषजनक ढंग से संचालित होने तक अपनी सहमति का हर साल नवीनीकरण कराना होगा। इसके बाद हर दो साल में सहमति का नवीनीकरण किया जाता है।
- हरी श्रेणी वाले उद्योग को दो साल में एक बार अपनी सहमति का नवीनीकरण कराना होगा।
- नवीनीकरण के लिए जिला अधिकारी को उपयुक्त सहमति शुल्क के साथ आवेदन-पत्र भेजा जाना चाहिए और इसे सहमति आदेश की समाप्ति से साठ दिन पहले भेजा जाना चाहिए।
- जिला अधिकारी उद्योग का निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट जमा करेगा • पूर्व सहमति संधि में निर्धारित सभी शर्तों के संतोषजनक अनुपालन के बाद ही सहमति का नवीनीकरण किया जाएगा।
- घातक अपशिष्ट घोषणा, जैसा कि घातक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम 2016 द्वारा निर्धारित किया गया है:

पीपी को फॉर्म 1 में एसपीसीबी को आवेदन करने की आवश्यकता होती है और साठ दिनों के भीतर प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

- एसपीसीबी फॉर्म 2 में निरीक्षण के 120 दिनों के भीतर प्राधिकरण देगी। प्राधिकरण सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
- नियम के फॉर्म 3 में पीपी को घातक और अन्य अपशिष्टों के रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहिए।
- पीपी को एसपीसीबी को एक वार्षिक रिटर्न देनी चाहिए, जिसमें फॉर्म 4 में निर्धारित विवरण शामिल होने चाहिए और उसे यह रिटर्न वित्तीय वर्ष जिससे यह रिटर्न संबंधित है के बाद की 30 जून की तारीख को देना चाहिए।

संकेताक्षर

1. ईओ: मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रभाव आकलन संगठन
2. सीईए: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
3. सीपीसीबी: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4. सीटी: शीतलक मीनार
5. सीटीइ: स्थापित करने के लिए सहमति
6. सीटीओ: संचालित करने के लिए सहमति
7. ईएसी: विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
8. ईसी: पर्यावरण समाशोधन
9. ईआईए: पर्यावरण प्रभाव आकलन
10. ईएमपी: पर्यावरण प्रबंधन योजना
11. ईटीपी: एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
12. एमओईएफ और सीसी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
13. ओटीसी: एक बार कूलिंग के माध्यम से
14. पीएफआर: पूर्व साध्यता रिपोर्ट
15. पीपी: परियोजना प्रस्तावक
16. आरटीआई: सूचना का अधिकार
17. एसईआईएए: राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
18. एसईएसी: राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
19. एसपीसीबी: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
20. एसटीपी: मलप्रवाह उपचार संयंत्र
21. टीओआर: संदर्भ की शर्तें
22. टीपीपी: तापीय विद्युत संयंत्र

Annexure I:

ENVIRONMENTAL STATEMENT FORM-V

(See rule 14)

Environmental Statement for the financial year ending with 31stMarch

PART-A

- i. Name and address of the owner/
Occupier of the industry
Operation or process:
- ii. Industry category Primary-(STC Code) Secondary-(STC Code)
- iii. Production category -Units
- iv. Year of establishment
- v. Date of the last environmental statement submitted.

PART -B

Water and Raw Material Consumption:

- i. Water consumption in m³/d
Process :
Cooling :

Domestic

Name of Products	Process water consumption per unit of products	
	During the previous financial year	During the current financial year
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

ii. Raw material consumption

Name of raw materials*	Name of Products	Consumption of raw material per unit of output	
		During the previous financial year	During the current financial year

* Industry may use codes if disclosing details of raw material would violate contractual obligations, otherwise all industries have to name the raw materials used.

PART-C

Pollution discharged to environment/unit of output (Parameter as specified in the consent issued)

Pollutants	Quantity of Pollutants discharged (mass/day)	Concentration of Pollutants discharged (mass/volume)	Percentage variation from prescribed standards with reasons.
(a) Water			
(b) Air			

PART-D

HAZARDOUS WASTES (as specified under Hazardous Wastes (Management & Handling Rules, 1989).

Hazardous waste	Total Quantity (Kg)	
	During the previous financial year	During the current financial year
1. From Process		
2. From pollution control facility		

PART-E

Solid Waste

Solid Waste	Total Quantity (Kg)	
	During the previous financial year	During the current financial year
1. From Process		
2. From pollution control facility		
3. Quantity recycled or recycled within the unit		

PART - F

Please specify the characteristics (in terms of concentration and quantum) of hazardous as well as solid wastes and indicate disposal practice adopted for both these categories of wastes.

PART-G

Impact of the pollution control measures taken on conservation of natural resources and consequently on the cost of production.

PART - H

Additional measures/investment proposal for environmental protection including abatement of pollution.

PART -I

MISCELLANEOUS:

Any other particulars in respect of environmental protection and abatement of pollution.

Annexure II:

Form for Water Cess Return Filing- FORM I

Return regarding Water consumed during the month of

Name and Address of the Consumer	Purpose for which water consumed	Reading at the beginning of the first day of the calendar month under report	Reading at the end of the last day of calendar month under report	Quantity of water consumed in Kilo litres	If the meter was out of order the monthly average consumption of water for the previous 3 months of working period	Quantity of water qualifying for rebate according to the assessee	Remarks (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Industrial cooling spraying in mine pits or boilers feed	(i) from Municipal water supply mains (ii) from well/tube well (iii) from canal (iv) from river (v) from any other source					
2.	Domestic purpose	(i) from Municipal water supply mains (ii) from well/tube well (iii) from canal (iv) from river (v) from any other source					
3.	Processing whereby water gets polluted and the pollutants are easily bio-degradable	(i) from Municipal water supply mains (ii) from well/tube well (iii) from canal (iv) from river (v) from any other source					
4.	Processing whereby water gets polluted and the pollutants are not easily bio-degradable and are toxic.	(i) from Municipal water supply mains (ii) from well/tubewell (iii) from canal (iv) from river (v) from any other source					

(*) for claiming rebate under Col. 7 the assessee shall indicate in this column the analytical and other reports annexed to this return in support of this claim

Signature of the consumer

Name

Address

Annexure III:

Fly Ash Notification S.O. 763 (E) Dated 14th September 1999, amendment dated 27.08.2003, Dated and - Statutory Compliance

Report for the period

Sl. No.	Item	Reply
1	Name of the thermal Power station	
2	Full Address including PIN code	
3	E mail address	
4	Name of the Nodal officer (not below the rank of DGM/Dy.CE/or equivalent) dealing with ash management and contents of this report and his designation	
5	Telephone No	
6	Fax No.	
7	Capacity of the Thermal Power station (MW)	
8	Details of Number of units and capacity of each unit	
9	Coal/Lignite Consumption in 2013-2014 (Million tonnes)	
A. Ash Generation (in tonnes).		
10	Bottom Ash	
11	Fly Ash	
	Total A (10 and 11):	
B. Ash Unutilised (in tonnes)		
12	Ash Pond disposal	
13	Ash yard	
14	Ash Dump	

	Total B (12 to 14):	
--	----------------------------	--

Ash Utilization (in tonnes)						
	Purpose for which ash is utilized	Target (as per action plan)	Actual			
			From ESP Dry Ash	From Pond Ash	From Bottom Ash	Total
15	Ash pond dyke raising					
16*	Cement industry					
17	Land fill					
18	Own Brick Unit					
19*	Outside Brick units other than brick kilns					
20*	Brick Kilns					
21	Own ash based products (other than bricks)					
22	Outside ash based products					
23*	Road and Flyover Embankments					
24*	Back filling of mines and Mixing Ash with OB					
25	Agriculture					
26	Ready mix concrete					
27	Asbestos					
28*	Exports					

29	Others					
	(i) Bottom Ash Cover					
	(ii) Cenosphere					
	(iii)Agriculture					
	Total C (15 to 29)					

D. Reason for variation from the target.

E. Remedial Measures taken.

F. Quantity in ash pond.

30	Estimated quantity of Pond Ash in active ash pond (Pond in use) as on 31.03. 2014 (Million tonnes)	
----	--	--

G. Ash Pond Details.

31	Total area earmarked for ponds (ha)	Forest Area	Non forest Area	Total
32	Ash ponds already filled up and reclaimed (ha)			
33	Ash ponds already filled up but yet to be reclaimed (ha)			

34	Ash ponds in use (ha) (Active ash ponds)		
35	Area earmarked for ash ponds but ash ponds yet to be constructed (ha)		
H. Dry fly ash collection facilities.			
36	Whether Mechanical handling facility for dry fly ash collection is available	Yes/ No	
37	If yes, for how many units		
I. Dry fly ash storage.			
38	Daily Ash Generation (TPD)	Capacity of storage as on 31.03.2016 (tonnes)	Capacity proposed if any in 2016-17 (tonnes)
J. Capital Expenditure. (Rs. Lakh)			
	Item	Expenditure in 2015-16 (Rs. Lakh)	Budgetary provision in 2016-17 (Rs. Lakh)
39	Mechanical dry fly ash collection facility		
40	Dry fly ash storage		
K. Dispute Settlement Committee.			
41	No. of meetings held in 2015-16	If no meetings were held, reason for the same	

L. Provision regarding supply to the brick kilns				
42	Whether the Thermal Power Station is maintaining month wise records of ash issued	Yes/ No		
43	If yes, how many <u>brick kilns</u> have been supplied with fly ash			
M. Mode of Transport for ash (Strikeout whichever not applicable)				
44	Dry Ash	<ul style="list-style-type: none"> • Open truck • Truck covered with tarpaulin • Trailer • Trailer covered with tarpaulin • Closed container • Special container truck 		
45	Wet Ash	<ul style="list-style-type: none"> • Open truck • Truck covered with tarpaulin • Trailer • Trailer covered with tarpaulin • Closed container • Special container truck 		
N. Promotional Measures				
		No. of meetings/ workshops/ exhibition held during 2015-16	Amount spent in 2015-16 (Rs. Lakh)	Outlay for 2016-17 (Rs. Lakh)
46	Exhibitions			
47	Seminars (Kissan Mela)			
48	Workshops			
49	Advertisement in Newspapers			

50	Advertisement in TV			
51	Advertisement in Radio			
52	Others (please specify) Trilingual Brochure on use of Ash in Agriculture			
	Total N (46 to 52)			

O. Administrative measures taken		
	Administrative Measures	Outcome
53	Meeting with brick manufacturers	
54	Meeting with State/Central Government agencies	
55	Any other measure (please specify)	

Signature of the Head of
Project of the thermal power
station

Name:

Designation:

Date:

Annexure - IV

CONSENT TO OPERATE (CTE) FORM UNDER AIR ACT 1981 AND WATER ACT 1974

Application for consent under Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended (Central Act 14 of 1981)

(Given below is the format of Tamil Nadu Pollution Control Board application to get consent under Air Act, 1981¹ and Water Act, 1974²)

1. [a] Full name of the applicant :
(Occupier of the unit)
- [b] Designation :
- [c] Office address with pin code :
- [d] Factory address with pin code :
- [e] Phone No. with STD code :
- [f] Fax No. with STD code :
- [g] E. mail ID :
- [h] Web site ID :

2. Full name of the unit :

3. Location of the unit :
 - [a] Survey No/TS No. :
 - [b] Village/Town :
 - [c] Taluk :
 - [d] District :

- 4) Local body (Corporation/Municipality/
Town Panchayat/Panchayat Union/ Others) :

¹http://www.tnpcb.gov.in/pdf/air_appln.pdf

²http://www.tnpcb.gov.in/pdf/Water_appln.pdf

5) Extent of land (in Hectares) : Owned / Leased

[a] Total :

[b] Built up area :

[c] Solid waste Storage/Disposal area :

[d] Green Belt / Irrigation area :

[e] Vacant area {a-(b+c+d)} :

6. Details of raw material used:

Sl. No	Name of the raw material	Quantity	T/m or KL/m or Nos/m	Principal use

7. Details of fuel used:

Sl. No.	Name of fuel	Point of use	Quantity in T/d or KL/d	Calorific Value	Ash content	Sulphur content

8. Details of products manufactured:

Sl. No.	Name of the product	Quantity	T/m or KL/m or Nos/m	End use
	Products			
	Byproducts			
	Intermediate products			

9. Manufacturing process :

No. of Employees working per
10. day :

(including contract workers)

11. Date of commissioning :

12. Details of Emission and noise sources:

Source	Control measures	Stack details						Fan/ Blower/ Pump capacity
		Material of construction	Diameter in meters	Height above GL in meters	Exit gas velocity in m/s	Exit gas temperature in oc	Maximum discharge in m ³ /hr	
1. Point source of emission								
2. Fugitive emission								

3. Noise								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Total Gross Fixed Assets (GFA) (in lakhs) :

14. Cost of Air Pollution control measures

(Rs. in Lakhs) :

15. Details of habitation: (All the habitations located within 1KM radius of the unit)

S.No.	Name of habitation	Distance in Kms	Population

16. [a] Name of the nearby Roadways :

(NH / SH / MDR / ODR)

[b] Distance from the site in Kms. :

17. [a] Land use classification of the site :

[b] Authority which classified the land use :

18. Name and distance of the sensitive area like places of Archaeological importance, National Park, Wild Life, Birds sanctuary, Marine National Park, Mangrove Forests, reserved forests, marsh lands if any located within 10 KM radius of the unit :

19. Is the unit is located within 1Km from marine

coastal area (sea, estuaries, back waters) : **Yes/No**

If Yes please mention the distance from the unit :

20. Name and address of all Directors / Partners :

Declaration:

1. I certify that all the information / data supplied are true and I have not suppressed any relevant information. I am aware that furnishing incorrect information / suppression of relevant information attracts the penal action under Chapter VI of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
2. I hereby undertake to make a fresh application for consent in case of change in either of a product/point of discharge or in quantity of emission or of its quality,
3. I hereby undertake to abide by the directions/instructions issued by the Board from time to time.
4. I hereby undertake to apply for consent to operate/renewal of consent along with the required details 30 days prior to the expiry of consent order.

Signature of the Applicant

Name and designation

Place:

Date:

Application for consent under Section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended (Central Act, 6 of 1974)

FORM II

1. [a] Full name of the applicant :
(Occupier of the unit)
- [b] Designation :
- [c] Office address with pin code :
- [d] Factory address with pin code :
- [e] Phone No. with STD code :
- [f] Fax No. with STD code :
- [g] E. mail ID :
- [h] Web site ID :
2. Full name of the unit :
3. Location of the unit :
- [a] Survey No. :
- [b] Village :
- [c] Taluk :
- [d] District ;
- 4) Local body (Corporation/Municipality/
Town panchayat/Panchayat Union/ Others) :
- 5) Extent of land (in Hectares) : Owned / Leased
- [a] Total :
- [b] Built up area :
- [c] Solid waste Storage/Disposal area :
- [d] Green Belt / Irrigation area :
- [e] Vacant area {a-(b+c+d)}

:

6. Details of raw material used:

Sl. No.	Name of the raw material	Quantity	T/m or KL/m or Nos/m	Principal use

7. Details of fuel used:

Sl. No.	Type of fuel	Point of use	Quantity in T/d or KL/d	Calorific Value	Ash content	Sulphur content

8. Details of products manufactured:

Sl. No.	Name of the product	Quantity	T/m or KL/m or Nos/m	End use
	Products Byproducts Intermediate products			

9. Manufacturing process

:

10. [a] Source of Water :

[b] Water Consumption (WC) in KLD

(i) WC I (Cooling & Boiler feed) :

(ii) WC II (Domestic) :

(iii) WC III (Process-Easily biodegradable) :

(iv) WC IV (Process- Not Easily biodegradable) :

(v) Total :

11. [a] Details of sewage/effluent generation and disposal:

Outlet No.	Description of Outlet (Indicate sewage or trade effluent)	Maximum daily discharge in KLD	Mode of disposal	Area of land earmarked for disposal
	Sewage Trade effluent			

[b] Sources of Trade Effluent :

12. Details of Sewage/effluent treatment plant:

[a] Individual ETP or CETP

[b] Structural components :

Sl. No.	Name of the treatment unit	No. of units	Dimension in metres
	Sewage Trade effluent		

13 a. Details of Non hazardous Solid Wastes.

S. No	Nature of Solid Waste	Quantity T/month	Mode of disposal	Area of land earmarked for storage/disposal

13 b. Details of Hazardous Wastes.

S. No	Category No.	Name of the waste	Quantity T/A	Mode of disposal	Area of land earmarked for storage/disposal

14. Total Gross Fixed Assets (GFA) (Rs. in Lakhs) :

15 Cost of Water Pollution control measures

(Rs. in Lakhs) :

16. No. of Employees working per day :

(including contract workers)

17. Date of commissioning :

18. Details of habitation: (All the habitations located within 1KM radius of the unit)

S.No	Name	Distance in Kms	
	Population		

19. [a] Name of the nearby Roadways :
(NH / SH / MDR / ODR)

[b] Distance from the site in Kms. :

20. Details of water bodies like lakes/rivers/canals within a radius of 1 KM and rivers within a radius of 5 KM

[a] Name of the water source :

[b] Distance (in meters) :

21. [a] Land use classification of the site :

[b] Authority which classified the land use :

22. Name and distance of the sensitive area like places of Archaeological importance, National Park, Wild Life, Birds sanctuary, Marine National Park, Mangrove Forests, reserved forests, marsh lands if any located within 10 KM radius of the unit :

23. Is the unit is located within 1Km from marine coastal area (sea, estuaries, back waters) : **Yes/No**

If yes please mention the distance from the unit :

24. Name and full address of all the Directors/Partners:

Declaration:

1. I certify that all the information / data supplied are true and I have not suppressed any relevant information. I am aware that furnishing incorrect information / suppression of relevant information attracts the penal action under section 42 of Water (P&CP) Act, 1974 as amended
2. I hereby undertake to make a fresh application for consent in case of change of either of a product/point of discharge or of the quantity of discharge or its quality
3. I hereby undertake to abide by the directions/instructions issued by the Board from time to time
4. I hereby undertake to apply for consent to operate/renewal of consent along with the required details 30 days prior to the expiry of consent order.

Signature of the Applicant

Name and designation

Place:

Date:

Annexure V:

FORM 1

Application required for grant/renewal of authorisation for generation or collection or storage or transport or reception or recycling or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of hazardous and other waste

Part A: General (to be filled by all)

5. (a) Name and address of the unit and location of facility :

Name of the occupier of the facility or operator of disposal facility with designation, Tel, Fax and e-mail:

Authorisation required for (Please tick mark appropriate activity or activities:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Generation | <input type="checkbox"/> |
| 2. Collection | <input type="checkbox"/> |
| 3. Storage | <input type="checkbox"/> |
| 4. Transportation | <input type="checkbox"/> |
| 5. Reception | <input type="checkbox"/> |
| 6. Reuse | <input type="checkbox"/> |
| 7. Recycling | <input type="checkbox"/> |
| 8. Recovery | <input type="checkbox"/> |
| 9. Pre-processing | <input type="checkbox"/> |
| 10. Co-processing | <input type="checkbox"/> |
| 11. Utilisation | <input type="checkbox"/> |
| 12. Treatment | <input type="checkbox"/> |
| 13. Disposal | <input type="checkbox"/> |
| 14. Incineration | <input type="checkbox"/> |

(d) In case of renewal of authorisation previous authorisation numbers and dates and provide copies of annual returns of last three years including the compliance reports with respect to the conditions of Prior Environmental Clearance, wherever applicable:

3. (a) Nature and quantity of waste handled per annum (in metric tonne or kilo litre)

(i) Nature and quantity of waste stored at any time (in metric tonne or kilo litre)

(ii)

4. (a) Year of commissioning and commencement of production:

(b) Whether the industry works:

(c)

(i) 01 Shift

(ii) 02 Shifts

(iii) Round the clock

4. Provide copy of the Emergency Response Plan (ERP) which should address procedures for dealing with emergency situations (viz. Spillage or release or fire) as specified in the guidelines of Central Pollution Control Board (CPCB). Such ERP shall comprise the following, but not limited to:

1 Containing and controlling incidents so as to minimise the effects and to limit danger to the persons, environment and property;

2 Implementing the measures necessary to protect persons and the environment;

3 Description of the actions which should be taken to control the conditions at events and to limit their consequences, including a description of the safety equipment and resources available;

4 Arrangements for training staff in the duties which they are expected to perform;

5 Arrangements for informing concerned authorities and emergency services; and

6 Arrangements for providing assistance with off-site mitigatory action

7

5. Provide undertaking or declaration to comply with all provisions including the scope of submitting bank guarantee in the event of spillage, leakage or fire while handling the hazardous and other waste.

Part B: To be filled by hazardous waste generators

1. (a) Products and by-products manufactured (names and product wise quantity per annum):

(b) Process description including process flow sheet indicating inputs and outputs (raw materials, chemicals, products, by-products, wastes, emissions, waste water etc.) Please attach separate sheets:

(c) Characteristics (waste-wise) and Quantity of waste generation per annum:

(d) Mode of management of (c) above:

- i. Capacity and mode of secured storage within the plant;
- ii. Utilisation within the plant (provide details);
- iii. If not utilised within the plant, please provide details of what is done with this waste;
- iv. Arrangement for transportation to actual users/ TSDF;

(e) Details of the environmental safeguards and environmental facilities provided for safe handling of all the wastes at point (c) above;

2. Hazardous and other wastes generated as per these rules from storage of hazardous chemicals as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.

Part C: To be filled by Treatment, storage and disposal facility operators

1. Provide details of the facility including:

- a. Location of site with layout map;
- b. Safe storage of the waste and storage capacity;
- c. The treatment processes and their capacities;
- d. Secured landfills;
- e. Incineration, if any;
- f. Leachate collection and treatment system;
- g. Fire fighting systems;
- h. Environmental management plan including monitoring; and
- i. Arrangement for transportation of waste from generators.

2. Provide details of any other activities undertaken at the Treatment, storage and disposal facility site.

3. Attach a copy of prior Environmental Clearance.

Part D: To be filled by recyclers or pre-processors or co processors or users of hazardous or other wastes

1. Nature and quantity of different wastes received per annum from domestic sources or imported or both:

2. Installed capacity as per registration issued by the District Industries Centre or any other authorised Government agency. Provide copy:

3. Provide details of secured storage of wastes including the storage capacity:
4. Process description including process flow sheet indicating equipment details, inputs and outputs (input wastes, chemicals, products, by-products, waste generated, emissions, waste water, etc.). Attach separate sheets:
5. Provide details of end users of products or by-products:
6. Provide details of pollution control systems such as Effluent Treatment Plant, scrubbers, etc. including mode of disposal of waste:
7. Provide details of occupational health and safety measures:
8. Has the facility been set up as per Central Pollution Control Board guidelines? If yes, provide a report on the compliance with the guidelines:
9. Arrangements for transportation of waste to the facility:

Signature of the Applicant

Designation

Date.....

Place.....

FORM 4

FORM FOR FILING ANNUAL RETURNS

[To be submitted to State Pollution Control Board by 30th day of June of every year for the preceding period April to March]

1. Name and address of facility:
2. Authorisation No. and Date of issue:
3. Name of the authorised person and full address with telephone, fax number and e-mail:
4. Production during the year (product wise), wherever applicable

Part A. To be filled by hazardous waste generators

1. Total quantity of waste generated category wise
2. Quantity dispatched
 - a. to disposal facility
 - b. to recycler or co-processors or pre-processor
 - c. others
3. Quantity utilised in-house, if any -
4. Quantity in storage at the end of the year -

Part B. To be filled by Treatment, storage and disposal facility operators

1. Total quantity received -
2. Quantity in stock at the beginning of the year -
3. Quantity treated -
4. Quantity disposed in landfills as such and after treatment -
5. Quantity incinerated (if applicable) -
6. Quantity processed other than specified above -
7. Quantity in storage at the end of the year -

Part C. To be filled by recyclers or co-processors or other user

1. Quantity of waste received during the year -
 - a. domestic source
 - b. imported (if applicable)
2. Quantity in stock at the beginning of the year -
3. Quantity recycled or co-processed or used -
4. Quantity of products dispatched (wherever applicable) -
5. Quantity of waste generated -
6. Quantity of waste disposed -
7. Quantity re-exported (wherever applicable)-
8. Quantity in storage at the end of the year -

Signature of the Occupier or Operator of the disposal facility

Date.....

Place.....

